सं.6/12/2008-स्थापना (वेतन-II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली,

दिनांक 18 नवंबर, 2009

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के परिणामस्वरूप विनियामक प्राधिकरणों/निकायों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के वेतन का संशोधन ।

इस विभाग के दिनांक 14 नवंबर, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । व्यय विभाग के दिनांक 16 जुलाई, 2009 की अधिसूचना जारी होने के परिणामस्वरूप, जिसमें केन्द्रीय सचिवालय सेवा(संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में इस सीमा तक संशोधन किया गया है कि संशोधन पूर्व एस-3 वेतनमान के स्थान पर एच.ए.जी. वेतनमान रूपए 67000-(13% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि) - 79000 होगा । तदनुसार, दिनांक 14 नवंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट वेतन के संबंध में प्रावधानों को निम्नवत पढ़ा जाए :-

वेतन - अध्यक्ष प्रतिमाह अधिकतम 80000/-रूपए(नियत) के पात्र होंगे तथा सदस्य एच.ए.जी. वेतनमान में रूपए 67000-(3 % की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) -79000 के पात्र होंगे । वेतन का निर्धारण, विद्यमान आदेशों अर्थात वेतन में से पेंशन को घटाकर किया जाएगा ।

(वी.के. मुखोपाध्याय)
निदेशक

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग (संलग्न मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि:- निदेशक (एन.आई.सी.), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन को इस विभाग की वेबसाइट पर शीर्ष 'स्थापना (वेतन)'' उप शीर्ष ''वेतन नियम'' के अंतर्गत अपलोड करने के लिए ।

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा उनके नियंत्रणाधीन सभी राज्य (400 अतिरिक्त प्रतियों के साथ)
2. लेखा महानियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
3. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव ।
4. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अ.भा.से. प्रभाग)/जे.सी.ए./प्रशासन अनुभाग ।
5. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय ।
6. सभी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र ।
7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
8. जे.सी.ए. की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग / प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग / पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
10. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।
11. 50 अतिरिक्त प्रतियां ।